जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नगीना देहात   दिनॉक 13.07.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 171/25 धारा 303(2)/117(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13.07.2025 को वादी नूरअली पुत्र जफर अली निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि आज दिन में वादी की मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स(यूपी 20आर 6538) ग्राम टाण्डामाईदास के बाहर ईदगाह के पास स्थित वादी के खेत के किनारे खडी थी तभी एक व्यक्ति वादी की मोटसाइकिल चोरी करके ले जाने लगा, जिसे वादी व वादी के चाचा इस्लाम ने मौके पर ही पकड लिया, जिसने अपना नाम समीर पुत्र शमीम निवासी हर्षवाडा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर बताया और थाने पर चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित लाया गया। थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त समीर उपरोक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित हिरासत में लिया गया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 171/25 धारा 303(2)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 13.07.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त समीर पुत्र शमीम निवासी ग्राम हर्षवाडा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. समीर पुत्र शमीम निवासी ग्राम हर्षवाडा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरादमगी का विवरण–

1. सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल (यूपी 20आर 6538)

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना किरतपुर दिनॉक 13.07.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 160/25 धारा 115(2)/351(3)/352/333/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.06.2025 को वादिया श्रीमति संगीता पत्नी आशाराम निवासी ग्राम हामिदपुर माखन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 12.06.2025 को वादिया के जेठ अशोक पुत्र कालूराम व जेठानी पूनम पत्नी अशोक निवासीगण ग्राम हामिदपुर माखन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर पर आकर वादिया के पति आशाराम पुत्र कालूराम के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो व लोहे की रोड से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 160/25 धारा 115(2)/351(3)/352/333/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

कार्यवाही–

आज दिनांक 13.07.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अशोक पुत्र कालूराम निवासी ग्राम हामिदपुर माखन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अशोक पुत्र कालूराम निवासी ग्राम हामिदपुर माखन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 रवेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.मुख्य आरक्षी मौ0 मोमिन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.आरक्षी मोहसीन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 13-07-2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा ग्राम काजीवाला में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त को आलाकत्ल सहित किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2025 को वादी तबक्कल पुत्र सुभान निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कलाम पुत्र अय्यूब 2.हाजरा पत्नी अय्यूब 3. अमन पुत्र अय्यूब 4.समीर पुत्र अय्यूब 5.भूरा पुत्र कय्यूम निवासीगण ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की पत्नी जुबैदा के सिर पर धारधार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 599/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1)/333/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त आशिफ उर्फ ईद्दू पुत्र तबक्कल निवासी ग्राम काजीवाला को नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण-

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि वादी तबक्कल उपरोक्त की पहली पत्नी मुर्रतजाई की मृत्यु वर्ष 2008 में हुयी थी, जिससे उसके कुल 10 संतानें (04 पुत्र व 06 पुत्रियाँ) हैं। मुर्रतजाई की मृत्यु के उपरांत तबक्कल ने जुबैदा नामक महिला से पुनर्विवाह किया, जिससे उसकी दो संतान – तौहिद (उम्र लगभग 11 वर्ष) व नुरसबा (उम्र लगभग 13 वर्ष) है। वादी तबक्कल द्वारा अपनी संपत्ति से पहली पत्नी मुर्रतजाई के बच्चों को बेदखल कर दिनांक 19.12.2023 को घर की वसीयतनामा जुबैदा व उसके पुत्र तौहिद के नाम कर दी थी। बाद में तबक्कल दूसरे घेर की वसीयत भी जुबैदा व उसके पुत्र तौहिद के नाम करने के लिये कह रहा था। इन्हीं कारणों से वादी की पहली पत्नी मुर्रतजाई का छोटे पुत्र आशिफ उर्फ ईद्दू, जो देहरादून से काम छोडकर वर्तमान में करीब 01 माह से ग्राम काजीवाला स्थित घर में रह रहा था और आये दिन इसी बात को लेकर अपनी सौतली मां से झगडा करता था और द्वेष भावना रखने लगा। कुछ दिन पहले तबक्कुल का अपने पडोसी कलाम आदि से सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने व पशु नहलाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी का लाभ लेकर दिनांक 11.07.2025 को जब घर पर कोई

नही था, आशिफ उर्फ इद्दू ने जुबैदा के सिर पर ईंट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और हत्या का आरोप अपने पडोसियो कलाम आदि पर लगाकर अपने पिता तबक्कल से उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया। जुबैदा की हत्या के दौरान आशिफ के बाये हाथ की दो अंगुलियां भी चोटिल हो गई। पुलिस द्वारा पूछताछ में जब उसकी दोनो अंगुलियों की चोट के बारे में जानकारी ली गई, तो उसने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और उसने संपत्ति (मकान व घेर) के विवाद के कारण द्वेषवश जुबैदा की हत्या करना स्वीकार किया।

स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त आशिफ उर्फ ईद्दू उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल ईट को बरामद किया गया। अभियोग में नामित सभी अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियोग में धारा 190/191(2)/191(3)/333/351(2) बीएनएस का विलोप किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

आशिफ उर्फ ईद्दू पुत्र तवक्कल निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईट।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

1- प्रभारी निरीक्षक श्री उदयप्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2- मुख्य आरक्षी ललित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3- मुख्य आरक्षी नरेश तोमर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4- आरक्षी रवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5- आरक्षी लोकेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 13-07-2025**

थाना नूरपुर व शिवाला कलां पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट व छिनैती की दो घटनाओं का किया अनावरण। अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध शस्त्र, 02 मोटरसाइकिल व नगदी आदि बरामद की गयी।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2025 को विनोद कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम किरतपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर अपनी मोटरसाइकिल संख्या UP20AY-4007 से कस्बा नूरपुर से अपने गांव किरतपुर (थाना चादंपुर) जा रहे थे। समय करीब रात्रि 09.00 बजे ग्राम आजमपुर, रामनाथ पब्लिक स्कूल के निकट एक मोटरसाइकिल पर सवार चार अज्ञात युवक द्वारा विनोद को धक्का मारकर गिरा दिया व मारपीट कर उसकी जेब से ₹1500 नकद, एक सैमसंग मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल लूटकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 230/25 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया।

दिनांक 11.07.2025 को वादिया श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी ओमकार सिंह निवासी ग्राम सलाराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना शिवाला कलां पर तहरीर दी कि वादिया चांदपुर चौराहे से टैम्पो में बैठकर शिव नर्सिंग होम जा रही था तभी रास्ते में टैम्पो रुकने पर 02 अज्ञात लडकों ने वादिया का बैग छीनकर अपने अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गये। बैग में कपडे, मोबाइल चार्जर व कागजात थे। इस संबंध में थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 106/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियो एवं स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 03 टीमें गठित की गयी है।

कार्यवाही विवरण-

दिनांक 11.07.2025 को थाना नूरपुर व थाना शिवाला कलां क्षेत्रान्तर्गत हुई घटनाओ के अनावरण के क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 03 अभियुक्त लूट की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में है और वो नहटौर चोराहे से निकलने वाले है। इस सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 01 संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल सवार, अपनी मोटरसाइकिल को लेकर नूरपुर तिराहे की ओर भागने लगे। उक्त अभियुक्तो के भागने के संबंध में पुलिस टीम द्वारा थाना प्रभारी शिवाला कलां व गौरक्षधाम चौकी पर चेकिंग कर रही

पुलिस टीम को सूचना दी गयी। अभियुक्तगण गौरक्षधाम चौकी पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर बान नदी के पास ग्राम तंगरौला के जंगल की तरफ भागे और उनकी मोटरसाइकिल वहां फिसल गयी, जिसके बाद अभियुक्तगण द्वारा भागते हुये पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जबावी फायरिंग में 03 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल अभियुक्तो ने अपना नाम अभियुक्तगण 1- पंकज यादव पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बूचानांगल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2- शारिक पुत्र शहजाद 3- मूसा पुत्र इखलाक निवासीगण ग्राम बीलना थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा बताया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अवैध तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस, 140 रुपये नगदी तथा थाना शिवाला कलां की छिनैती की घटना से संबंधित 01 मोबाइल चार्जर व थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत लूटी गयी मोटरसाइकिल UP20AY-4007 बरामद की गयी तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटनास्थल के नजदीक ही खंडर से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल UP23 AR 1374 को बरामद किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि उनका एक साथी एजाज उर्फ आजाद पुत्र हबीब निवासी ग्राम आजमपुर उर्फ आदोपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर भी है तथा वे सभी आपस में अच्छे दोस्त है और आपस में मिलकर अपनी जरुरतो को पूरा करने के लिये छोटी-मोटी चोरी व लूट की घटनाएं अंजाम देते थे। दिनांक 11.07.2025 उनके द्वारा थाना शिवाला कलां क्षेत्र में एक महिला से बैग छीनने तथा उसी शाम ग्राम आजमपुर, नूरपुर-चांदपुर रोड पर एक व्यक्ति से ₹1500 नकद, मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल लूटने की घटना कारित की गयी थी। अभियुक्तगण द्वारा लूट की घटना में मिले मोबाइल फोन को रास्ते में तोड़कर फेंक दिया गया था तथा लूटे गए पैसों को आपस में बांटकर शराब पी ली गई थी, जिसमें से ₹140 शेष बचे थे।

अभियुक्तगण से बरामदगी के आधार पर थाना नूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 230/2025 धारा 309(6) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस व थाना शिवाला कलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 106/2025 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। फरार अभियुक्त एजाज उर्फ आजाद उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

1. पंकज यादव पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बूचानांगल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. शारिक पुत्र शहजाद निवासी ग्राम बीलना थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा
3. मूसा पुत्र इखलाक निवासी ग्राम बीलना थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा

वांछित अभियुक्त का नाम व पताः-

एजाज उर्फ आजाद पुत्र हबीब निवासी ग्राम आजमपुर उर्फ आदोपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेन्डर रजिस्ट्रेशन नं0 UP20 AY 4007 (थाना नूरपुर के अभियोग से संबंधित)
2. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेन्डर रजिस्ट्रेशन नं0 UP23 AR 1374 रंग काला (घटना में प्रयुक्त)।
3. 01 मोबाइल चार्जर (थाना शिवाला कलां के अभियोग से संबंधित)

4. 03 अवैध तमन्चा 315 बोर व 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस

5. 140 रुपये नगद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 351/21 धारा 379/411 भादवि थाना अमरोहा देहात अमरोहा

2- मु0अ0सं0 230/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 106/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 232/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शारिक उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 230/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 106/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 232/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मूसा उपरोक्त -

1- मु0अ0सं0 230/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 106/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 232/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम का विवरण :-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री जयभगवान सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2- प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

3- निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर।

4- उ0नि0 श्री योगेश कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर।

5- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

6- उ0नि0 श्री शिवा नैन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

7- उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

8- मुख्य आरक्षी राजकुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

9- मुख्य आरक्षी भूपेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

10- आरक्षी विष्णु शर्मा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

11- आरक्षी अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

12- आरक्षी भूदेव सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

13- आरक्षी राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

14- आरक्षी असलम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।